



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमांक:-प.25(12)(1) विविध/अभि/2024-00530/

जयपुर, दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

प्रशासनिक विभाग के समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 01.03.2025 (Rajkaj Ref No. 13900849) द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड में पीड़ित पक्ष/राज्य पक्ष की ओर से पैरवी किये जाने हेतु सहायक निदेशक अभियोजन एवं उनके कार्यालय हेतु पद सृजित किए गए हैं।

अतः उक्त सृजित पदों का आहरण/वितरण एवं प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित जिले के उप निदेशक अभियोजन के अधीन रहेगा।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान सचिव, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, गृह(ग्रुप-2)विभाग।
4. जिला कलक्टर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।
5. संबंधित किशोर न्याय बोर्ड।
6. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।
7. समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय।
8. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर।

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariat, Jaipur, Pincode: 302005 Phone & Fax: 0141-2227806 Mail ID: Prosecution@Rajasthan.gov.in